(80)

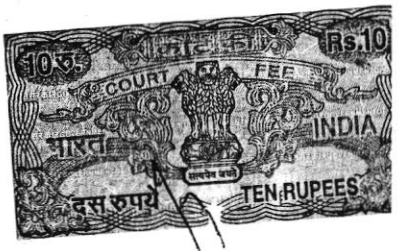

माननीय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालीयर कैम्प, उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. 41ए/14 PBR/अपील/उज्जैन/भू.रा/2018/0658

प्रार्थी ... श्री मुकेश उपाध्याय
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ....
12-01-18
अधीक्षक 12.1.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1 बालाराम पिता स्व. फकीरचंद उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति कोल्म्बी धंधा कृषि कार्य

2 स्व. दौलतराम पिता स्व. फकीरचंद मृत बजाय वैध वारिसान

अ. कैलाश पिता स्व. दौलराम आयु लगभग 43 वर्ष, जाति कोल्म्बी धंधा कृषि,

ब. भगवतीलाल पिता स्व. दौलतराम आयु 40 वर्ष, जाति कोल्म्बी धंधा कृषि,

स. बद्रीलाल पिता स्व. दौलतराम आयु लगभग 38 वर्ष, जाति कोल्म्बी, धंधा कृषि निवासीगण ग्राम कुम्हारवाड़ी तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन म.प्र.

.... अपीलांटस (आवेदकगण)

विरूद्ध

23/02/18

कैम्प उज्जैन प्राप्त 17/1/18

1 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, उज्जैन म.प्र.

2 तहसीलदार महोदय तहसील खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र.

.............रेस्पाडेंटस (अनावेदक)

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त राजस्व आयुक्त महोदय, संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1577/16–17 अपील में प्रदत्त आदेष दिनांक 9.11.17 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

अपीलांट की और से द्वितीय अपील का स्मरण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/उज्जैन/भूरा/18/ 0658

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री मुकेश उपाध्याय द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया था उसके बाद ही विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है । विचारण न्यायालय के आदेश में त्रुटि के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस न्यायालय में प्रस्तुत इस द्वितीय अपील में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निष्कर्षो में कोई त्रुटि बताने के समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये गये है । अत: यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	